न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्याः— 180 / 2021

प्रार्थीः—

विरमाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी सिलोर तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. प्रभूसिंह पुत्र हरीराम जाति पुरोहित निवासी सिलोर
2. भीमसिंह पुत्र हरीराम जाति पुरोहित निवासी सिलोर
3. मोहनसिंह पुत्र हरीराम जाति पुरोहित निवासी सिलोर
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :—1. **श्री कैलाशपुरी अधिववक्ता प्रार्थीगण**

2.श्री अचलाराम अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

—: आदेश :—

दिनांक :—09.05.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 620 / 518 रकबा 0.6232 हैक्टयर किस्म चाही अव्वल मौजा सिलोर पटवार मण्डल सिलोर तहसील समदडी में आया हुआ है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेत में बदिशा पश्चिमी मे विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 520,521 में से अपने खातेदारी खेत में आवगमन कर रहा था जो प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा ए से बी बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से वकील श्री अचलाराम थोरी उपस्थित। तहसीलदार समदडी के पत्रांक राजस्व / 2022 / 171 दिनांक 15.03.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अज अदालत द्वारा तहसीलदार समदडी से पुन : मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार समदडी द्वारा अपने पत्रांक राजस्व / 2022 / 193 दिनांक 05.04. 2022 को पुनः मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करते हुये पुनः मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वंय से मंगवाने बाबत् निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 620/518 रकबा 0.6232 हैक्टयर किस्म चाही अव्वल मौजा सिलोर पटवार मण्डल सिलोर तहसील समदडी में आवगमन हेतु बदिशा पश्चिमी मे विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 520,521 ही एक मात्र रास्ता है सबसे नजदीकी रास्ते अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 620/518 में आवगमन हेतु प्रार्थी के खेत के बदिशा पश्चिम में स्थित विप्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा संख्या 520 व 521 मे से रास्ता घोषित किया जावे।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पर सुना ,पत्रावली का अवलोकन किया ।

वर्तमान प्रकरण घारा 251 ए रा.का.अ. का है जिसके तहत निकटतम दूरी का रास्ता के खातेदार को अपने जोत तक पहुंचने के लिये अन्य खातेदार की जोत मे से दिये जाने हेतु प्रस्तुत हुआ है पत्रावली एवं संलग्न रिपोर्ट दिनांक 14.03.2022 का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि प्रस्तावित रास्ता की भूमि की बीच में खसरा संख्या 521 गै.मु.बेरा व सडा व हनुमानजी देवता का थान है तथा एक पक्का कमरा बना हुआ है तथा खसरा संख्या 520 में अनार के पौधे खडे है,खसरा संख्या 620/518 मे खसरा संख्या 508 गै.मु.रास्ता की भूमि में खसरा संख्या 617/513, 621/513, 619/513, 649/514, 515/516 से होकर रास्ता की लम्बाई 752 फीट होती है जबकि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 520 व 521 में चाहे गये रास्ते की दूरी 1485 फीट है । निकटतम रास्ता खसरा में खसरा संख्या 617/513,621/513,619/513,649/514,515/516 मे से दिये जाने वाले रास्ता है उपरोक्त खसरा में रास्ते हेतु खसरा संख्या 618/518 मे रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 516 मे रकबा 0.04 बीघा,खसरा संख्या 515 मे रकबा 0.03 बीघा,खसरा संख्या 649/514 मे रकबा 0.04 बीघा,खसरा संख्या 619/513 मे रकबा 0.02 बीघा , खसरा संख्या 617 /513 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 621/513 रकबा 0.02 बीघा कुल रकबा 1.01 बीघा रास्ता हेतु उपयोग होगा जो लघुत्तम दूरी का रास्ता है,रिपोर्ट अनुसार मौजा सिलोर की डीएलसी रेंट प्रति बीघा 63792/– रूपये है।

पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात के गहराई से अध्ययन व मनन किया । तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट राजस्व/2022/171 दिनांक 15.03.2022 के संलग्न नजरी नक्शा का अध्ययन करने पर यह तथ्य ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवगमन हेतु चाहा गया रास्ता अधिकतम दूरी का है तथा मौका फर्द में प्रस्तावित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है जिसकी लम्बाई 752 फीट व चौडाई 13 फीट है

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 620/518 रकबा 0.6232 हैक्टयर में आवगमन हेतु सरहद मौजाा सिलोर पटवार मण्डल सिलोर तहसील समदडी के खसरा संख्या 618/518 मे रकबा 0.04 बीघा,खसरा संख्या 516 मे रकबा 0.04 बीघा,खसरा संख्या 515 मे रकबा 0.03 बीघा,खसरा संख्या 649/514 मे रकबा 0.04 बीघा,खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संख्या 619/513 मे रकबा 0.02 बीघा , खसरा संख्या 617 /513 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 621/513 रकबा 0.02 बीघा कुल रकबा 1.01 बीघा रास्ता उपरोक्त खसरे में से खसरा संख्या 508 गै.मु. रास्ता तक 752 फीट लम्बाई एवं चौडाई 13 फीट (2 गट्ठा) लम्मे रास्ता घोषित किया जाता है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रार्थी स्वंय के खातेदारी के खसरा संख्या 619/513 रकबा 0.2104 हैक्टयर है जो जमाबंदी संवत् 2077–2080 से स्पष्ट है।

प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार लम्बाई 752 फीट एवं चौडाई 13 फीट (2 गट्ठा में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार समदडी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 618/518 मे रकबा 0.04 बीघा,खसरा संख्या 516 मे रकबा 0.04 बीघा,खसरा संख्या 515 मे रकबा 0.03 बीघा,खसरा संख्या 649/514 मे रकबा 0.04 बीघा,खसरा संख्या 619/513 मे रकबा 0.02 बीघा , खसरा संख्या 617 /513 रकबा 0.02 बीघा, खसरा संख्या 621/513 रकबा 0.02 बीघा कुल रकबा 1.01 बीघा रास्ता घोषित किया जाकर उपरोक्त खातेदारन के हिस्से अनुसार 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर रूपये 63792/– प्रति बीघा की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को लम्बाई 752 फीट एवं चौडाई 13 फीट (2 गट्ठा) में रास्ता मौका फर्द दिनांक 14.03.2022 जो पत्रांक राजस्व/2022/171 दिनांक 15.03.2022 को न्यायालय में पेश की है के संलग्न मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल से दर्शाये खसरा संख्या 618/518 से 508 गै.मु.रास्ता तक कुल रकबा 01.01 बीघा उपरोक्त खसरान मे से रास्ता रेकर्ड में अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार समदडी को दिया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार समदडी को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)